

FORM-4

(For Liner Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector New Tehri

1023./X.XV/-103 (2015-16)

Dated ..30/XII/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initialed and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.42 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of forest department (E.E. Cons. Divi Peyjal Nigam, Chamba) for **Chamba Mussoorie Fall Patti Birkunda Devi GoV pumping Water Supply Scheme** (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of village (s) in Tehri/Dhanolti Tehsils.

It is further certified that.

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.42 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed in annexure.
- The diversion of the forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Enclosure. As above

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Power Corporation
Vikas Eye Hospital
Chamba (Tehri Garhwal)

(उत्तरी नदी सेवा विभाग)
District Collector
New Tehri
टिहरी नदी सेवा

It is Further certified that Minutes fo meeting Chamba Mussoorie Fall Patti Surkanda Devi GoV Pumping Water Supply Scheme regarding FRA is as following.

Sl. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.42 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (S) Gram Sabha sub Division Level committee (S) and District Level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned village regarding construction of aforesaid Pumping w/s is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

उपनिर्देशक
जिला पंचायत सदस्य (H/S)
टिहरी गढ़वाल।

17/11/15
समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल

प्रमाणित विकास अधिकारी
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat
Vikas Extension Division
Chamba (Tahsil Garwal)

(ज्योति नीरज खेरवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTRAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District Constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Jyoti Neeraj Khairwal I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in Which the applicant claiming rights in Chamba/Jaunpur/Thauldhar Block area measuring **1.42 Hectare** for the construction of **Chamba Mussoorie Fall Patti Surkanda Devi Govt Pumping Water Supply Scheme** in Tehsil Tehri/Dhanolti/Kandisaur of forest land under FRA 2006 of the following application duly processed and recommended by the sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level committee recommended the above case for diversion for diversion for the said purpose.

Place - Tehri

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pooja Samiti
Vikas Evam Nirmal
Chamba (Tehri Garhwal)

(ज्योति नीरज खैरवाल)
District Collector, Sum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढवाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी टिहरी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण - पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति टिहरी

तहसील टिहरी/कण्डीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण (आरक्षित वनभूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.32 है० कुल भूमि 0.32 है०) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील टिहरी/कण्डीसौड़) की दिनांक 4/11/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

श्री वृजेश कुमार तिवारी	उप जिलाधिकारी
श्री बी. के. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी
श्री - आर. एम. राणा -	सहायक समाज कल्याण अधिकारी
श्रीमती उर्मिला जड़वासी	जिला पंचायत

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव
सदस्य उर्मिला जड़वासी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.32 है० वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया जिसका अन्तर्गत वनाधिकार का कोई गमला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम समूह द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्र नगर/टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं परम्परागत वन निगम नियम 2008 के प्राविधान को

Engineer
Superintendent
Vikas Engineering
Chandigarh

(2)

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से ग्रामसभा से तहसील टिहरी/कण्डीरौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह ग्रामिण पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.32 हे० दम्भूमि जल निधि, चम्बा प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक सजातीय विकास अधिकारी
विकास खण्ड चम्बा (टि० ग०)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला अधिकारी

तदर्थ
जिला पंचायत सी०
चम्बा (टि० ग०)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील टिहरी
जनपद टिहरी

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Samiti
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पंपिंग योजना ।

उप-जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण हेतु 0.32 है. वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु जलनिगम चम्बा प्रयोक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित किया जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-0/98-एसओसी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पापेयन लाईन, ओ०एफ०सी० लाईन पाईप लाईन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के कम में प्रभावित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

सहायक अभियन्ता
पेयजल निगम चम्बा
(टि०ग०)।

Executive Engineer
अभियन्ता
Construction Division
Uttarakhand Peyjar & Nigam
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

सहस्रीदार
सपजिलाधिकारी
टिहरी

राजस्व अभियन्ता
कैलाश/दोलधार

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjar & Nigam
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी धनोली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण -पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धनोली

तहसील धनोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण (आरक्षित वनभूमि 0.00 है०, सिविल सोयम भूमि 0.99 है० कुल भूमि 0.99 है०) जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धनोली) की दिनांक6/11/015.....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री देवानन्द शर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. श्री डी०पी० खन्ना	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3. श्री संजयकिट वेल्बल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4. श्री शशिबलेश ठाकुर	जिला पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 0.99 है० वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के सम्मुख रखा गया। मानसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा अनुमति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेश्वर नगर/टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धित नियम 2008 के तहत प्रमाण -पत्र जारी कराया गया।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pwajal Board
Vikas Evam Nigam, Jhansi
Chamba (Tehsil Garhwal)

(2)

जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा भी अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से तहसील धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.99 है० वनभूमि जल निगम, चम्बा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धनोल्टी
जनपद टिहरी

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sanchathan
Vikas Green Network Nilgam
Chamba (Juni Garhwal)

उप एकाकीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर उप वन प्रभाग
मुनि की रेंती

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण।

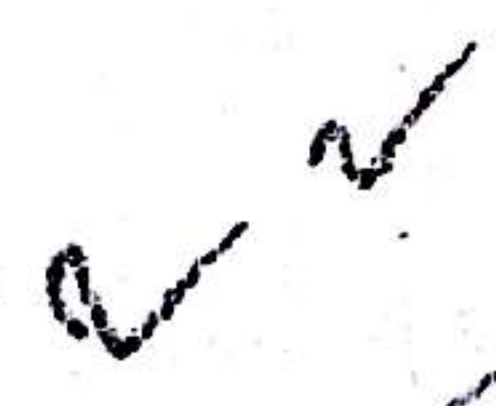
उप जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा/जौनपुर/थौलधार ब्लॉक के चम्बा मसूरी फल पट्टी सूरकण्डा देवी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल के निर्माण हेतु 0.99 है० वनभूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु जल निगम, चम्बा को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एस०सी० दिनांक 05.02.2013 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारिषण लाइन, ओ०एफ०सी० केबिल पाईप लाइन बिछाने आदि परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा (टि०ग०)


Executive Engineer
अधिसूचक अभियन्ता
Uttarakhand Peyjal Sansthan
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
चम्बा (टि०ग०)


तहसीलदार
धनोली
टिहरी गढ़वाल


उपजिलाधिकारी
धनोली
06/11/17


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Sansthan
Vikas Evam Nirman Nigam
Chamba (Tehri Garhwal)

परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.42 हे० आरक्षित भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- उनियालगांव

तहसील:- धनोल्टी टिहरी गढ़वाल।

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना परियोजना निर्माण हेतु 1.42 हे० आरक्षित वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उनियालगांव द्वारा दिनांक 5/8/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतु चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा टिहरी गढ़वाल को चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित कियाजा सत्य एवं सही है।

ह०

ग्राम प्रधान



परियोजना शीर्षक

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल के वन अन्तर्गत चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.42 हे० आरक्षित भूमि को 30 वर्षों तक लीज पर दिया जाना।

आज दिनांक 5/8/05 को ग्राम पंचायत उनियालगांव में चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत उनियालगांव द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए चम्बा-मसूरी फल पट्टी पम्पिंग पेयजल योजना को अति आवश्यक समझा गया। जिसमें ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र०सं०	सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्रीशाम शिवाजी	श्रीशाम
2-	प्रेम सिंह शिवाजी	प्रेम सिंह
3-	जयदेव शिवाजी	जयदेव
4-	विजय शिवाजी	विजय
5-	रमेश शिवाजी	रमेश
6-	शमशेर शिवाजी	शमशेर
7-	राम शिवाजी	राम

